By e-mail
"अत्यावश्यक"

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/23/1295 जयपुर,दिनांकः 10-2-2023

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम/परिषद/पालिकाओं द्वारा दी जाने वाली निम्न सेवाओं का अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाईन ही निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये जाते है तथा ऑफलाईन माध्यम से ऐसे प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था को दिनांक 01.04.2023 से समाप्त किया जाता है।

1. नाम हस्तान्तरण।
2. मोबाईल टॉवर एवं ओ.एफ.सी.।
3. फायर एन.ओ.सी.।
4. सीवर कनेक्शन।
5. ट्रेड लाईसेंस।
6. नवीन भवन निर्माण स्वीकृति।
7. साइनेज लाईसेंस।

आदेश की कडाई से पालना करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/23/1226-1720 जयपुर,दिनांकः 10-2-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हैरिटेज)/जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/कोटा (उत्तर/दक्षिण)/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायो को सूचित करें।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगरपालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. निदेशक/अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त आदेश प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी